न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0) कैम्प [illegible]

पीठासीन अधिकारी : श्री के0 आर0 खौड़, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 141 / 2017

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2017

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

[illegible]

[illegible] – प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

[illegible]

[illegible] – विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :– [illegible]

निर्णय

दिनांक 31/5/17

प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी / प्रार्थीगण के ग्राम [illegible] तहसील शाहपुरा / ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 0.27 है, 150 रकबा 0.80 है, 154/755 रकबा 0.37 है, 169/1558 रकबा 1.46 है, 186/1231 रकबा 1.00 है कुल किता 5 रकबा 3.60 हैक्टयर का प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम [illegible] संवत 2073 से 2076 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा [illegible] मे स्थित प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ की उपरोक्त खातेदारी / ~~संयुक्त खातेदारी~~ की आराजीयात किता 5 रकबा 3.60 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 700/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा / ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/5/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(के0आर खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, शाहपुरा / ——— पास भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)